

1- लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों के सम्पूर्ण विवरण।

क्र०सं०	लोक प्राधिकारी कार्यालय का पूर्ण नाम एवं पता दूरभाष सहित	नामित लोक सूचना अधिकारी का पूर्ण नाम एवं पता दूरभाष सहित	नामित प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम पूर्ण नाम एवं पता दूरभाष सहित
1	2	3	4
1	कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी चमोली। विकास भवन गोपेश्वर। 01372-253912	महिधर सिंह तोमर विकास भवन गोपेश्वर। 01372-253912	श्री सूर्यमोहन नौटियाल मुख्य विकास अधिकारी चमोली। 01372-253419

2- समस्त लोक सूचना प्राधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) के अर्न्तगत तैयार किये जाने वाले मैनुअलों की स्थिति।

क्र०सं०	लोक प्राधिकारी कार्यालय का पूर्ण नाम	क्या मैनुअल तैयार कर लिये गये हैं(हां/नहीं)	तैयार मैनुअल किस तिथि तक अद्यावधिक किये गये है।
1	2	3	4
1	मुख्य कृषि अधिकारी चमोली। विकास भवन गोपेश्वर।	हां	दिसम्बर 2011 तक

3- लोक सूचना अधिकारियों को वर्ष 2011-12 में प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों का विवरण।

क्र०सं०	वर्ष के प्रारम्भ से अवशेष प्रार्थना पत्रों की संख्या	वर्ष में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	आवेदन पत्रों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदन पत्रों की संख्या	कितने आवेदन पत्रों में प्रार्थियों को सूचना दी गयी	कितने आवेदन पत्रों को निरस्त किया गया	अवशेष आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	23	23	23	23	-	-

4- प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारियों को वर्ष 2011-12 में प्रथम अपीलों का विवरण।

क्र०सं०	वर्ष के प्रारम्भ में अवशेष प्रथम अपीलों की संख्या	वर्ष में प्राप्त प्रथम अपीलों की संख्या	प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	कितने प्रथम अपीलों को स्वीकार कर सूचना प्रदान की गयी	कितने आवेदन पत्रों को निरस्त किया गया	अवशेष आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

5- सूचना अधिकार अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु विभागीय अपीलीय अधिकारियों / लोक सूचना अधिकारियों के सुझाव एवं उनको आ रही कठिनाईयां।

1. सूचना अधिकार हेतु पृथक स्टाफ एवं कम्प्यूटर की सुविधा न होने से आवेदन पत्रों का समय पर निस्तारण करने में कठिनाई आ रही है।
2. कुछ आवेदक पहले सूचना मांगते हैं बाद में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, कि मैं अपने प्रार्थना पत्र को बिना किसी दबाव के वापस ले रहा हूँ, और मैंने सूचना प्राप्त कर ली है।
3. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सूचनायें स्पष्ट नहीं मांगी जाती हैं।
4. आवेदक से अतिरिक्त शुल्क मांगने पर शुल्क नहीं भेजा जाता है, जिससे कि सूचनाओं को तैयार करने पर अनावश्यक समय नष्ट होता है।

मुख्य कृषि अधिकारी,  
चमोली।